न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 25/2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. महावीरसिंह पुत्र दलपतसिंह 2 प्रीतमकंवर पत्नी दयालसिंह जातियान राजपूत निवासीगण उचियार्डा बिलाड़ा चक नं.1 (द्वितीय) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. मानवेन्द्रसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी उचियार्डा बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा 2. दिनेश सीरवी पुत्र धीसूलाल जाति सीरवी निवासी गौशाला सेवा समिति अजमेर रोड़ बिलाड़ा 3. राकेश पुत्र छगनलाल जाति खटीक निवासी खटीकों की ढीमड़ी बींजवाड़िया रोड़ बिलाड़ा हालनिवास गौशाला सेवा समिति अजमेर रोड़ बिलाड़ा 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा 5. सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः—प्रार्थीगण की ओर से श्री भागीरथसिंह सोढ़ा एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या—1 से 3 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

निर्णय दिनांक 6/9/2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या—1 महावीरसिंह व अप्रार्थी संख्या—1 मानवेन्द्रसिंह दोनों सगे भाई है एवं उनकी संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या—1 द्वितीय व ग्राम बरना में आयी हुयी है। बिलाड़ा चक संख्या—1 द्वितीय की भूमि खसरा नम्बर 2876 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2879 रकबा 3.3007 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3023 रकबा 0.2993 हैक्टेयर, खसरा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नम्बर 3024 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3027 रकबा 0.2912 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3029 रकबा 0.3236 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3035 रकबा 0.3479 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3044 रकबा 0.5420 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3047 रकबा 0.4692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3048 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3049 रकबा 0.5339 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3050 रकबा 0.2589 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3051 रकबा 0.2589 हैक्टेयर कुल खसरा 13 कुल रकबा 7.2970 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या–1 का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या–1 का 1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम बिलाड़ा चक संख्या–1 द्वितीय की भूमि खसरा नम्बर 2874 रकबा 3.8023 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2878 रकबा 0.8252 हैक्टेयर कुल खसरा–2 कुल रकबा 4.6275 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या–1 का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या–1 का 1/2 हिस्सा है। इसी तरह ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 491 रकबा 11.2208 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494 रकबा 10.9215 हैक्टेयर कुल खसरा–2 कुल रकबा–22.1423 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या–1 का 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या–2 का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या–1 का 1/4 हिस्सा निहित है। विवादित भूमि पैतृक है। अप्रार्थी संख्या–1 कर्ताधर्ता है, सम्पूर्ण कृषि आय का हिसाब किताब नही देता है। प्रार्थी अक्सर बाहर रहता है। अप्रार्थी संख्या–1 ने खसरा नम्बर 2874 रकबा 3.8023 हैक्टेयर में कोई बंटवाड़ा कराये बीना ही अप्रार्थी संख्या–2 व 3 को भूमि गौशाला हेतु किराये पर दे दी। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी द्वारा गैर कृषि कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या–2 व 3 ने वादग्रस्त स्थल पर गौशाला सेवा समिति का बोर्ड लगवा कर खुलेआम अवैध निर्माण कार्य कर रहे है। अप्रार्थी संख्या–2 व 3 अप्रार्थी संख्या–1 को 30,000/– रूपये माहवारी किराये देते है अप्रार्थीगण खून खराबा करने की धमकी देते है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 2874 पर रिसीवर तहसीलदार बिलाड़ा को नियुक्त किया जावें एवं कब्जा तहसीलदार बिलाड़ा को सुपुर्द कराया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 से 3 की ओर से वकील श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट ने जवाब पेश किया। प्रार्थी संख्या–1 एवं अप्रार्थी संख्या–1 के बीच वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2874 का मौके पर बंटवाड़ा हो चुका है। प्रार्थी संख्या–1 का पश्चिमी हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या–1 का पूर्वी हिस्सा पर कब्जा काश्त है, इस खसरे के पास में हाईवे सड़क निकल जाने से एवं भूमि की किमते बढ़ जाने से प्रार्थी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संख्या–1 की नियत बदल गयी है। अप्रार्थी संख्या–1 को अपने हिस्से की भूमि को किराये पर देने का पूर्ण अधिकार है, जिसके लिए प्रार्थी संख्या–1 को एतराज करने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या–2 व 3 गायों की देखरेख करने हेतु गौशाला संचालन करते है। अप्रार्थी संख्या–2, 3 ने किसी भी प्रकार का कोई अवैध निर्माण का कार्य नही किया है। अप्रार्थी संख्या–1 विवादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है, अतः रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, तुलनात्मक सुविधा तथा अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना जरूरी है।

प्रथम दृष्टया मामलाः– प्रार्थीगण ने ग्राम बिलाड़ा चक संख्या–1 द्वितीय की खसरा नम्बर 2874 रकबा 3.8023 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या–1 तथा अप्रार्थी संख्या–1 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि होना बतायी है। प्रार्थी संख्या–1 ने मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 2874 रकबा 3.8023 हैक्टेयर को अप्रार्थी संख्या–1 ने अप्रार्थी संख्या–2, 3 को गौशाला संचालन करने हेतु किराये पर दे रखी है। विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या–1 ने बीना सहमति प्राप्त किये ही अप्रार्थी संख्या–2, 3 को भूमि किराये पर देकर मौके पर कृषि से अकृषि कार्य किया जा रहा है, इस कारण भूमि खसरा नम्बर 2874 पर रिसीवर नियुक्त कर तहसीलदार बिलाड़ा को कब्जा सुपुर्द कराया जावें। विवादित भूमि खातेदारी की होने से प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या–1 ने जवाब में स्पष्ट रूप से कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 2874 का पूर्व में बंटवाड़ा हो चुका है। प्रार्थी संख्या–1 का इस वादग्रस्त खसरे के पश्चिमी हिस्से की तरफ की भूमि आयी हुयी है, जब पक्षकारों ने आपस में बंटवाड़ा किया तब इस खसरे के पश्चिमी तरफ हिस्से की भूमि प्रार्थी संख्या–1 के बंट में रखी एवं पूर्वी तरफ की भूमि अप्रार्थी संख्या–1 के बंट में रखी गयी। अप्रार्थी संख्या–1 ने अपने हिस्से की भूमि को किराये पर दे रखी है, अभी मौके पर अप्रार्थी संख्या–2, 3 गौशाला संचालन करते है। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 भूमि खसरा नम्बर 2874 का 1/2 हिस्से का रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज है, जिस तथ्य को प्रार्थी संख्या–1 ने स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी इन मिडियों की श्रेणी में नही आती है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार होने से विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त नही किया जा सकता है, दोनों पक्षों के बीच कब्जे की घोषणा दावे में अन्तिम

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निपटारा के समय तय होगी इस कारण दोनों पक्षो को एक दूसरे की विवादित आराजी को डेमेज, वेस्ट, हस्तान्तरण आदि को रोका जा सकता है इस कारण दावे के निस्तारण तक ग्राम बिलाड़ा चक संख्या—1 द्वितीय की भूमि खसरा नम्बर 2874 रकबा 3.8023 हैक्टेयर को उभय पक्षकारान किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही करेंगे तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करने तथा मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने का आदेश पारित किया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया केस का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षतिः— ग्राम बिलाड़ा चक संख्या—1 द्वितीय की भूमि खसरा नम्बर 2874 रकबा 3.8023 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या—1 का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी संख्या—1 के पक्ष में बनना पाया जाता है। अगर अप्रार्थी संख्या—2, 3 का मौके पर चल रहे गौशाला को हटा दिया जायेगा तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के बजाय अप्रार्थीगण को होगी इस कारण अपूर्णनीय क्षति का मामला प्रार्थी के पक्ष में नही बनना पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या—1 से 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम बिलाड़ा चक संख्या—1 द्वितीय की भूमि खसरा नम्बर 2874 रकबा 3.8023 हैक्टयेर के किसी भी भाग पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करेंगे। उभय पक्षकारान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 6/9/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा